

मूल वाद मंडला
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

प्रसीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर ए एस
वाद संख्या :- 096/2024

1. गुरजीतसिंह पुत्र सुखचरणसिंह जाति जटसिंह निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम्

2. सुखचरणसिंह उर्फ चरणसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिंह निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. हिन्दपाल कौर पत्नी सुखचरणसिंह जाति जटसिंह निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. बेअन्तकौर पुत्री सुखचरणसिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिंह निवासी करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :- 88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 16.8.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.8.2024 को स्वाति गुप्ता आर ए एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 3 जीजीआर खाता संख्या 31/91 में कुल 4.262 हैक्टर में 1279/6393 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 32/34 में कुल 1.012 हैक्टर में 1/20 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 33/33 में कुल 5.060 हैक्टर में 1/40 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 90/227 में कुल 17.963 हैक्टर में 245/35926 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 200/202 में कुल 1.518 हैक्टर में 1/2 हिस्सा, चक नम्बर 2 आर.डबल्यू.वी. के खाता संख्या 17/18 में 3.367 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा, चक नम्बर 8 एस.एल.डबल्यू. के खाता संख्या 52/18 में 2.277 हैक्टर में 1/10 हिस्सा आराजी में से वादी को 2/3 हिस्सा का तथा शेष 1/3 हिस्सा आराजी प्रतिवादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, चक नम्बर 3 जीजीआर के खाता संख्या 200/202 में से सुखचरणसिंह का नाम कलमजन, चक नम्बर 2 आर.



डबल्यू.बी. के खाता संख्या 17/18, चक नम्बर 8 एस.एल.डबल्यू. के खाता संख्या 52/18, चक नम्बर 3 जी.जी.आर के खाता संख्या 90/227, इसी चक के खाता संख्या 33/33, इसी चक के खाता संख्या 32/34, इसी चक के खाता संख्या 31/91 में से वरणासिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16.8.2024 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
पत्र के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
पत्र पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
पत्र के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
पत्र की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
पत्र की तामिल	---	योग	---